कार्ययोजना | उठाए जा रहे है व्यापक कदम

सिविक सेंटर को सर्वसुविधायुक्त बनाने की कार्ययोजना तैयार

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सिविक सेंटर योजना क्रमांक 18, विकास बाजार एवं चौपाटी क्षेत्र को व्यवस्थित, स्वच्छ और सर्वसुविधायुक्त बनाने के उद्देश्य से व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राधिकरण कार्यालय में सभी प्रमुख लीजधारियों, स्थानीय व्यापारियों, बड़े संस्थान प्रमुखों एवं चौपाटी के छोटे-बड़े दुकानदारों के साथ तीन दिवसीय विस्तृत बैठकों का एक लंबा दौर चला। बैठकों के समापन दिवस पर जेडीए अध्यक्ष संदीप जैन की अध्यक्षता में, उपाध्यक्ष प्रशांत केशरवानी और प्रभारी सीईओ संजय खरे की विशेष उपस्थिति में सभी अपेक्षितजनों ने परिसर की उन्नति के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। जेडीए अध्यक्ष संदीप जैन ने बताया कि तीन दिवसीय बैठक के बाद सिविक सेंटर को पूरी तरह व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से सीधा समन्वय स्थापित कर एक संयुक्त रणनीति बनाई गई है।

रखरखाव के लिए व्यापारी कल्याण संघ गठित

नागरिकों से सीधे संवाद और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद सिविक सेंटर एवं विकास बाजार की उचित देखरेख, पुख्ता सुरक्षा और दैनिक संचालन के लिए व्यापारियों व लीजधारियों की एक पंजीकृत समिति 'व्यापारी कल्याण संघ' गठित करने का ठोस निर्णय लिया गया है। यह नवगठित समिति जेडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्रीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही त्वरित समाधान खोजेगी। इसके साथ ही परिसर में अतिक्रमण पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए मेजनाइन कॉरिडोर, लिफ्ट के लिए आरक्षित स्थान, सार्वजनिक बाथरूम और आम फुटपाथों पर किए गए सभी प्रकार के स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा तय शर्तों का उल्लंघन करने वाले डिफाल्टरों को कानूनी नोटिस जारी कर समय सीमा के भीतर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बुनियादी मेंटेनेंस के लिए एक विशेष सोसाइटी का गठन होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम व यातायात का तत्काल सुधार कर छतों और मुख्य नालियों की नियमित रूप से वैज्ञानिक सफाई कराएगी, जिससे आगामी दिनों में जल भराव व यातायात नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों से परामर्श कर एक स्थाई व्यवस्था लागू हो सके।

पार्किंग एवं यातायात प्रबंधन को प्राथमिकता

क्षेत्र में सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग एवं यातायात प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है, जिसके तहत सिविक सेंटर क्षेत्र में समदड़िया मॉल के आसपास होने वाले अवैध पार्किंग स्थलों और मुख्य सड़क को घेरकर लगने वाले अवैध ठेलों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा। इस समस्या के निदान के लिए चार पहिया वाहनों के लिए क्षेत्र में बनी आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग का उपयोग शत-प्रतिशत बढ़ाने तथा विभिन्न ब्लॉकों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार पृथक-पृथक पार्किंग जोन बनाने पर आम सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त सिविक सेंटर परिसर के खुले क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के जमावड़े, देर रात तक होने वाली संदिग्ध भीड़ और सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से रात्रि गश्त बढ़ाकर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। समस्याओं के त्वरित एवं आपसी सूझबूझ से निराकरण के लिए प्रत्येक महीने में एक दिन अनिवार्य रूप से लीजधारियों व व्यापारियों की एक संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस खुली बैठक में सबकी सहभागिता से गठित मुख्य समिति के माध्यम से सभी छोटे-बड़े हितग्राही मिलकर पूरे परिसर की स्वच्छता, आंतरिक सुरक्षा और दैनिक रखरखाव की जिम्मेदारी आपसी समन्वय बनाकर सुनिश्चित करेंगे। संदीप जैन ने अंत में दोहराया कि जबलपुर विकास प्राधिकरण की मुख्य प्राथमिकता इस पूरे व्यापारिक क्षेत्र का समुचित और आधुनिक विकास कर इसे एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना है।

मेरिडियन स्कूल के 4 खिलाड़ियों का चयन

संभागीय शालेय कुराश प्रतियोगिता में दिखाएंगे दमखम

जबलपुर नवभारत। 70वीं संभाग स्तरीय शालेय कुराश प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मेरिडियन एसएस स्कूल गांधीग्राम के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है।

70वीं संभाग स्तरीय शालेय कुराश प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी विद्यालय के खेल शिक्षक शशांक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। चयनित खिलाड़ियों में वेदिका पटेल, सौम्या पटेल, अनमोल दहिया और जागृति पटेल शामिल है।

प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय पीएम श्री महारानी लक्ष्मी बाई माध्यमिक विद्यालय, राइट टाउन, जबलपुर में किया जाएगा, जिसमें जबलपुर, मंडला एवं बालाघाट जिलों के खिलाड़ी विभिन्न आयु एवं वजन वर्गों में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

इन्होंने दी बधाई- खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर मेरिडियन एसएस स्कूल गांधीग्राम के डायरेक्टर प्रताप सिंह बघेल, पुष्पराज सिंह बघेल, प्राचार्या अंजलि अग्रवाल, कुराश एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष विभोर बबेल, कुराश एसोसिएशन जबलपुर की उपाध्यक्ष शिवानी ठाकुर ने शुभकामनाएं दीं।

जीआरपी ने चलाया जागरूकता अभियान

जबलपुर, नवभारत। शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) जबलपुर द्वारा रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी की रोकथाम एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यात्रियों, महिलाओं, बच्चों एवं आम नागरिकों को मानव तस्करी के संबंध में जागरूक किया गया तथा उन्हें इसके प्रति सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया। टीम द्वारा पंपलेट वितरित किए गए तथा मानव तस्करी के दुष्परिणाम, बचाव के उपाय एवं पुलिस हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि नौकरी, विवाह, शिक्षा अथवा अन्य प्रलोभनों के माध्यम से होने वाली मानव तस्करी से सावधान रहें तथा किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करें। रेलवे स्टेशन मानव तस्करी की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण स्थान हैं, इसलिए यात्रियों की सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।

कार्यालय अपर संचालक/प्राचार्य शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर म.प्र.

Office No. 0761-2663471 I E.Mail- petcjabalpur@gmail.com

क्रमांक/506/ प्राचार्य/पीईटीसी./ प्रशिक्षण/2026 जबलपुर, दिनांक 04/08/2026

एमपी. पी.एस.सी. (प्रारंभिक परीक्षा 2027) एवं एस.एस.सी., रेलवे, बैंकिंग एमपी, एस.आई. ईएसबी. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों के लिये निशुल्क ऑफलाईन कोचिंग हेतु विज्ञापन।

शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए एमपी. पी.एस.सी. (प्रारंभिक परीक्षा 2027) एवं एस.एस.सी., रेलवे, बैंकिंग एमपी. एस.आई. ईएसबी. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग हेतु निम्न शर्तों के अधीन निधारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का सदस्य एवं म.प्र. का मूल निवासी हो तथा आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक न हो तथा न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष हो। आवेदक ने पूर्व में किसी भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण न लिया हो।
2. कोचिंग हेतु स्नातक होना आवश्यक है। कोचिंग का माध्यम हिंदी (ऑफलाईन स्वरूप) का होगा। आवेदक के स्नातक परीक्षा में 55 प्रतिशत या अधिक होने पर मूल टी.सी. एवं अन्य आवश्यक अभिलेख जमा करने पर नियमानुसार आवास सहायता राशि एवं स्टाईपेण्ड प्रतिमाह 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर देय होगी।
3. केन्द्र में केवल महिला प्रशिक्षणार्थियों हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हैं। इस है मुह इस है मूल टी.सी. एवं अन्य आवश्यक अभिलेख कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगा। महिला (छात्रावासी) हेतु स्टाईपेण्ड / शिष्यावृति प्रतिमाह 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर देय होगी। छात्रावासी महिला प्रशिक्षणार्थियों को आवास सहायता योजना अन्तर्गत देय राशि का भुगतान तब किया जावेगा जब छात्रावास में उपलब्ध सभी रिक्त सीट्स की पूर्ति हो जावेगी। छात्रावास में उपलब्ध सीट्स की संख्या सीमित हैं तथा प्रवेश प्रारम्भ है। अतः छात्रावास में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जावेगा।
4. कोचिंग संस्था में निःशुल्क स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर लैब एवं लायब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
5. आवेदक को म.प्र. लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2027 में आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
6. एमपी. पी.एस.सी. हेतु कोचिंग की अवधि प्रारंभिक / मुख्य परीक्षा आयोजित होने अथवा 12 माह जो भी पहले हो तक रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा 2027 में असफल होने पर संबंधित आवेदक का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
7. अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग की अवधि अधिकतम 06 माह होगी।
8. विगत वर्षों में म0प्र0 राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में चयनित आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
9. संस्था में सीट रिक्त होने की दशा में स्नातक परीक्षा में 55 प्रतिशत से कम अंक वाले आवेदकों को कक्षाओं में सम्मिलित होने/बैठने की विशेष अनुमति दी जावेगी किन्तु उन्हें शासन द्वारा निर्धारित आर्थिक एवं अन्य लाभ देय नहीं होगा।
10. एमपी. पी.एस.सी. प्रारंभिक परीक्षा हेतु कक्षाओं का संचालन दिनांक 03/08/2026 से प्रारंभ हो गया है।
11. एस.एस.सी., रेलवे, बैंकिंग एमपी. एस.आई. ईएसबी. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कक्षाओं का संचालन दिनांक 01/09/2026 से किया जाना संभावित है।
12. दिनांक 31/08/2026 तक इच्छुक छात्र / छात्राएँ आवेदन कर सम्मिलित हो सकते हैं।

उपर्युक्तानुसार आवेदक आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल,हायर सेकेन्ड्री,स्नातक उत्तीर्ण की अंकसूची, 02 पासपोर्ट साइज फोटो, आधारकार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति डाक द्वारा प्राचार्य शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (रामपुर पुलिस चौकी के पास, तेज अपार्टमेंट के बाजू में नर्मदा रोड) जबलपुर पिन कोड- 482008 कार्यालयीन पता अथवा व्यक्तिशत रूप से कार्यालयीन समय एवं दिवसों में कार्यालय में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालयीन दूरभाष - 0761-2663471 एवं व्हाट्स एप्प नं0 - 8889609588 (प्राचार्य) पर अपना नाम पता एवं प्रवेश संबंधी अन्य जानकारी उपलब्ध कराते हुये कार्यालयीन समय एवं दिवसों में संपर्क कर सकते है।

Centre Address Location link-
https://www.google.com/maps/place/23%C2%B008'15.0%22N+79%C2%B055'43.4%22E/@23.1374886,79.9261392,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.1374886!4d79.9287141?hl=en&entry=ttu&g ep=EgoyMD11MDcwOS4wIlKXMDSo0ASAFQAw%3D%3D

प्राचार्य
शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र,जबलपुर म प्र.

जी-16724/26 स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

मप्र विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन का प्रांतीय सम्मेलन आज

नवभारत, जबलपुर। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन का प्रांतीय सम्मेलन और बैठक आज 6 अगस्त को सतना के श्रम कल्याण केंद्र में किया जा रहा है। इस संबंध में जोनल सचिव बी पी पटेल ने बताया कि संविदा कर्मियों और आउट सोर्स कार्मिकों की नियमित नियुक्ति की विसंगतियों पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। बैठक के दौरान कंपनी कैडर, नियमित कर्मचारियों, संविदा अनुकंपा आश्रितों और पेंशनर्स की विभिन्न लंबित समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा कर आंदोलन या भविष्य की रणनीति की रूपरेखा का निर्धारण किया जाएगा। इस मौके पर फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने बताया कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर संगठन को और अधिक सुदृढ़ तथा सक्रिय करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राजपूत, कार्यवाहक अध्यक्ष खूबचंद शर्मा, महामंत्री राकेश डी. पी. पाठक, प्रांतीय उपाध्यक्ष उमाशंकर मेहता सहित पूरे प्रदेश से फेडरेशन के मुख्य पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं।

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाज़ारी पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग ने ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाज़ारी और व्यावसायिक कार्यों व वाहनों में उनके अवैध उपयोग के मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेज दिया है। शिकायत के अनुसार टिल्लो पंप के माध्यम से वाहनों तथा व्यावसायिक सिलेंडरों में गैस रिफिल करने से सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। इसके साथ ही घरेलू गैस पर 5 प्रतिशत और व्यावसायिक गैस पर 18 प्रतिशत जीएसटी होने के कारण इस अवैध उपयोग से सरकार को 13 प्रतिशत जीएसटी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।

इसके अलावा कुछ वितरकों की मिलीभगत से ग्राहकों और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के नाम पर फर्जी ऑनलाइन बुकिंग दिखाकर सिलेंडरों को कालाबाज़ारी में भेजा जा रहा है।

पेट्रोलियम मंत्रालय को गहन जांच के निर्देश

उपभोक्ता मामले विभाग के अवर सचिव विकास कुमार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यह मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत पेट्रोलियम सचिव को साक्ष्यों की गहन जांच कर दोषी गैस एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फाउंडेशन ने इसके साक्ष्य स्वरूप 159 जिलों के 59,900 से अधिक होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की सूची सरकार को सौंपी है जहां घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। उपभोक्ता अधिकारों के लिए कार्यरत ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए पूरे देश में संचालित अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट और दोषी वितरकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरे करें कार्य : कलेक्टर

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में हाउसिंग बोर्ड एवं बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जिले में किये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न शासकीय भवनों एवं अधोसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय.सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में महाधिवक्ता कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय के रेनोवेशन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित फार्मेसी भवन, शासकीय महाविद्यालय चरगवां, होम साइंस कॉलेज राइट टाउन, महाकौशल महाविद्यालय सिविल लाइंस, सांदीपनि विद्यालय करोंदी, रानीताल हॉकी टर्फ, आधारताल स्थित छात्रावास तथा प्री.एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

कार्यालय उद्यान शास्त्र विभाग

ज.ने.कृ.वि.वि. - कृषि महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) - 482004

क्र./ उद्यान /2026/192 दिनांक 05/08/2026

संक्षिप्त निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि फल अनुसंधान प्रक्षेत्र, इमलिया के अंतर्गत करौंदा फसल की कोटेशन दिनांक 13/08/2026 दिन बुधवार को की जानी है, इसके लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कोटेशन प्रपत्र एवं शर्ते 200रु. नगद या डिमांड ड्राफ्ट जो कि जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के करेंट खाता : सीड रिवाल्विंग फन्ड, खाता क्र. 20030200010062 आई. एफ. एस.सी. कोड UCBA 0002003 में जमा कर कैश मेमो के आधार पर प्राप्त करें। कोटेशन प्रपत्र दिनांक 13/08/2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वीकार की जावेगी एंव सायं 4.00 बजे विभागाध्यक्ष कार्यालय में खोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति कोटेशन प्रपत्र व शर्ते तय समय सीमा में जमा कर कोटेशन प्रक्रिया मे भाग ले सकते हैं।

IPRO/Hort./2026/99 विभागाध्यक्ष

उर्स और शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस में अकीदतमंदों को मिली दीनी शिक्षा

नवभारत, जबलपुर। मंडी मदार टेकरी स्थित दरबारे रब्बानी में हज़रत सैय्यदना सरकार शहीदे मिल्लत अल्लामा सैय्यद अब्दुल वदूद कादरी सूफ़ी रब्बानी एवं कुत्बे जबलपुर हज़रत अल्लामा अल्हाज सैय्यद मोहम्मद दाऊदुल कादरी नश्तर रब्बानी का दो दिवसीय सालाना उर्स मुबारक बुधवार को संपन्न हो गया। उर्स के दौरान पीरज़ादा सैयद असजद रब्बानी, सैयद अशहद रब्बानी एवं सैयद अरशद रब्बानी की सरपरस्ती में आयोजित शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता अल्लामा सैयद मुमताज़ रब्बानी बॉदा शरीफ व अल्लामा सैय्यद मिस्बाहुल मुराद जाफ़री ने विशेष खिताब फरमाया और अपने नूरानी बयान से उपस्थित अकीदतमंदों को दीन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दीं। महफ़िल में गुजरात के इंटरनेशनल नातख़्वाँ शब्बीर बरकाती ने अपनी दिलकश आवाज़ में नात व मनक़बत पेश कर समा बाँध दिया। अगली सुबह सलातो-सलाम के बाद सैयद अरशद रब्बानी की दुआ के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा। इस दौरान सज्जादा नशीन ने अपनी विशेष दुआ में सभी उपस्थित अकीदतमंदों को मसलके आला हज़रत पर सख्ती से क़ायम रहने पर विशेष ज़ोर दिया। बुधवार सुबह दरबारे रब्बानी में कुरआनख़ानी, कुल शरीफ और देश के अमन-चैन, तरक्की तथा समस्त अकीदतमंदों की खुशहाली के लिए विशेष दुआएं की गईं।

टेलीग्राम अकाउंट हैक कर भेजे अश्लील मैसेज

नवभारत, जबलपुर। मध्य भारत मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ यादव का टेलीग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया। शातिर हैकर्स द्वारा उनके हैक किए गए अकाउंट से शहर के कई प्रतिष्ठित एवं नागरिकों को लगातार अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। मोर्चा अध्यक्ष की सामाजिक छवि और चरित्र को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर साइबर सेल में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने टेलीग्राम अकाउंट को तत्काल ब्लॉक कराने, संदेशों के प्रसारण पर रोक लगाने और इस साइबर अपराध के पीछे सक्रिय दोषियों की पहचान कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव ने आम जनता और शुभचिंतकों से विशेष अपील की है कि उनके टेलीग्राम नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज या संदिग्ध लिंक पर भूलकर भी क्लिक न करें। बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि आए दिन लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, जिससे बचने के लिए हम सभी को डिजिटल रूप से जागरूक और सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है।

जन्मदिन मनाने गया परिवार घर में हुई चोरी

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत न्यूराम नगर में चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, नगदी पार कर दी। चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब परिवार जन्मदिन मनाने के लिए पैतृक गांव गया हुआ था। चोर सीसीटीव्ही कैमरे में कैद हो गए है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पतासाजी कर रही है।

दसवें के कार्यक्रम में गया था परिवार, घर में हुई चोरी

नवभारत,जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत पंचकुईया में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पार कर दिए। घटना उस वक्त हुई जब पीड़ित परिवार रजा चौक पर अपनी फुफ्फी के इंतकाल के बाद आयोजित दसवें के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। वापस लौटने पर घर के ताले टूटे मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पंचकुईया निवासी मोहम्मद गुलाम (40) दुपहिया वाहन रिपेयरिंग का काम करते हैं, रजा चौक निवासी उनके पिता अब्दुल कदीर के घर पर उनकी फुफ्फी अख्तर के इंतकाल का कार्यक्रम चल रहा था। पीड़ित अपने पूरे परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर पिता के घर गए हुए थे। चोरों ने इसी सूनेपन का फायदा उठाया और वारदात को अंजाम दिया।

संस्कृति संचालनालय, म.प्र. शासन

1-शिवाजी नगर (रेडक्रास अस्पताल के पीछे), भोपाल-462016

Website : www.culturemp.in/Email : director-culture@mp.gov.in

शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की व्यवस्था हेतु आवेदन आमंत्रित हैं

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश के विभिन्न शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए अतिथि विद्वानों की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

1. अतिथि विद्वानों की व्यवस्था संबंधी प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों के तहत् की जावेगी।
2. रिक्तियों के विषय/विधा, पद संख्या तथा स्थान आदि का विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप तथा उक्त नियम एवं मापदण्ड, संचालनालय की वेबसाइट www.culturemp.in पर उपलब्ध हैं।
3. उक्त नियम की कण्डिका 2.1.5 के अनुसार आवेदनकर्ता केवल किसी एक शिक्षण संस्था/महाविद्यालय हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। एक से अधिक संस्था/महाविद्यालय हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर समस्त आवेदन अमान्य किये जावेंगे।
4. म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग, भोपाल द्वारा दिनांक 19/09/2017 के नियमों जारी संशोधन परिपत्र क्र. एफ-01-37/2013/तीस, दिनांक 03/06/2024 अनुसार पात्र उम्मीदवारों को प्रायोगिक साक्षात्काए/टेस्ट हेतु आमंत्रित किया जाएगा। आवेदकों को साक्षात्कार में स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा। इस हेतु यात्रा/आवास अथवा अन्य कोई व्यय देय/प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगा।
5. आवेदकों को प्रायोगिक साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अपना वाद्ययंत्र/कला सामग्री (आवश्यक पेपर, पेंसिल, ब्रश, कलर्स आदि) अपने साथ लाना होगा। संचालनालय द्वारा वाद्ययंत्र/कला सामग्री उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
6. आवेदकों को आवेदन में पत्न व्यवहार हेतु अपना पूर्ण एवं स्पष्ट पता अंकित करना होगा। किसी भी पत्राचार में डाक से हुए विलंब के लिए संचालनालय उत्तरदायी नहीं होगा।
7. विज्ञापित पदों की संख्या में किसी भी स्तर पर संशोधन का पूर्ण अधिकार संचालक, संस्कृति संचालनालय के पास सुरक्षित रहेगा।
8. उक्त कार्यालय में आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारी, शैक्षणिक योग्यताओं तथा अनुभव आदि के सत्यापित प्रमाण-पत्र सहित) प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25/08/2026 सायं 6:00 बजे तक है।

उप संचालक
संस्कृति संचालनालय, म.प्र.

जी-16741/26 स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, काम्पलेक्स (बी) ब्लाक गौतम नगर, भोपाल

निजी क्षेत्र में कृषि यंत्र किए की दुकान (CHC) स्थापित करने की योजना वर्ष 2026-27 हेतु विज्ञापन

क्रमांक/तक./निजी क.हा.के./2026-27/1979 (संक्षिप्त) भोपाल, दिनांक 05/08/2026

निजी क्षेत्र में कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित करे हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2026-27)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ''ऑन-लाईन' आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। ये कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना हैं। प्रत्येक कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर आवेदकों (सामान्य,अ.जा.,अ.ज.जा. तथा एफपीओ) को 40 प्रतिशत अधिकतम रू.10 लाख तक का ''क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)' अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना अतंर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2025 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। प्रदेश में कुल-1000 कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) (सामान्य के कुल-554, अनुसूचित जन जाति के कुल-182, अनुसूचित जाति के कुल-209 तथा एफपीओ के कुल-55) के लक्ष्यों का जिलेवार एवं विकासखण्डवार विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट -2 पर संलग्न हैं। जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगें। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2026-27 हेतु ही वैध रहेंगे। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि रू.10000/- बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी। ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवदेन करने की अवधि	-	दिनांक 07 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों को निर्धारण	-	दिनांक 22 अगस्त 2026 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से जिलेवार निधरित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org. .पर दिनांक 22 अगस्त को सांय 5.00 बजे से देखी जा सकेंगी।)
3.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक 24-25 अगस्त 2026 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक

योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापना के उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी। प्रत्येक जिले हेतु हितग्राहियों का चयन कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। एक व्यक्ति केवल एक जिले)ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। एक से अधिक बिलों/ग्रामो हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे। कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी द्वारा चयनित आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन उनके आ